अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित / संस्थापन / 2025 / 151 दिनांक : 01/04/2025

1. संबंधित चिकित्सा अधीक्षक
   मेडिकल कॉलेज– राजस्थान।
2. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /
   प्रमुख चिकित्सा अधिकारी– राजस्थान।
3. संबंधित नियन्त्रण अधिकारी–राजस्थान।

विषयः–अनुपस्थित चिकित्सकों के संबंध प्रकाशित सूचना दिनांक 29.03.2025 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा चिकित्सकों के स्थानान्तरण / पदस्थापन कर नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त कम में संबंधित चिकित्सकों द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर कर्तव्य से स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहे हैं जिनको निदेशालय स्तर से नोटिस कमांक 149 दिनांक 28.03.2025 द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाकर अनुपस्थित चिकित्सकों को नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने के संबंध में 48 घंटे का समय दिया गया था। (प्रति संलग्न)

अतः निर्देशानुसार लेख है कि जारी नोटिस/प्रकाशित सूचना दिनांक 29.03.2025 की अनुपालना में जिन चिकित्सकों ने अपने कर्तव्य पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु कार्मिक विभाग के नवीनतम परिपत्रानुसार परिशिष्ठ 'द' तैयार कर 24 घंटे की अवधि में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा जिन चिकित्सकों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थिति प्रस्तुत की है कि सूचना भी तत्काल (आज ही) निदेशालय को भिजवायें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 01/04/2025

क्रमांक :– राजपत्रित / संस्थापन / 2025 / 151

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर। ।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक जोन– राजस्थान को समाचार पत्र में प्रकाशित नोटिस की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि अनुपस्थित चिकित्सकों का जहाँ भी सेवाभिलेख उपलब्ध हो वहाँ से प्रपत्र 'द' संबंधित नियन्त्रण अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयावधि में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित एटी / सीबी अनुभाग मख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

Scanned with OKEN Scanner